समाचार-प्रकाशनार्थ:-

12 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर आज लगेगी कोरोना वैक्सीन

18 वर्ष से अ धक आयु के सभी नागरिकों को लगेगी वैक्सीन

रतलाम 25 जून। रतलाम नगर में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन कये जाने हेतु 26 जून शनिवार को 12 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर नगर के 18 वर्ष से अ धक आयु के समस्त नागरिकों को प्रातः 9 बजे से कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क 18 वर्ष से अ धक आयु के ऐसे नागरिक जिन्होने कोरोना का पहला टीका नहीं लगवाया है वे अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाये।

वार्डवार बनाये वैसीनेशन सेन्टरों के तहत वार्ड क्रमांक 2 रामकला सभागृह ए लक्ष्मणपुराए वार्ड क्रमांक 9 संधु गूरूद्वारा ए मोहन नगरए वार्ड क्रमांक 16 काश्यप सभागृह ए सागोद रोड़ए वार्ड क्रमांक 25 सगरवंशी माली समाज धमशर्ााला ए मालीकुंआए वार्ड क्रमांक 27 जमातखाना ए शेरानीपुराए वार्ड क्रमांक 30 काजीखान मस्जिद ए जावरा रोड़ए वार्ड क्रमांक 33 लायसं हाल ए पावर हाउस रोड़ए वार्ड क्रमांक 36 धर्मशाला ए का लका माताए वार्ड क्रमांक 48 सूरजहाल ए वेदव्यास कॅालोनीए डीआरएम आ फस दो बत्ती (दूसरा डोज को व शल्ड)ए कम्यूनिटी हॉल अलकापुरी (दूसरा डोज को व शल्ड) न्यू कलेक्टोरेटए महू रोड (सर्फ वदेश जाने वालो के लये स्पेशल कैम्प) पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

25 जून को 101 मट्रीक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 25 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों

की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 25 जून शनिवार को 101 मट्रीक टन कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
25 जून शुक्रवार को डम्पर व टेªक्टर ट्रॉली से 61805ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 20440ए काम्पेक्टर गीला कचरा 16100 व कन्टेटमेंट मैजिक से 2995 कलो इस तरह कुल 101340 कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

वार्ड प्रभारी प्रेमचन्द पथरोड को सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 25 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 5 में ना लयों एवं अन्य स्थलो पर गंदगी पाये जाने पर वार्ड प्रभारी प्रेमचन्द पथरोड का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी कया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 25 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संब धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 24 जून को 7 दुकानदारों पर जुर्माना कया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा श्रीरामए मोहनए प्यास खैरातीए शरोमणीए कॉलेज रोडए न्यू लक्कीए राज कांच वालाए गुरूकृपा महू रोडए आनन्दश्रीए श्री सांईनाथ महू रोड बस स्टैण्डए जगन दौलतगंजए शबनमए सरिता घांस बाजारए वनोट ऑटो पार्ट्स

लोकेन्द्र टॉकजए पवन चौरसया जेल रोड द्वारा गंदगी करने पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये
आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 25 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अ धकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को चन्हित कया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पु लयाओं को चन्हित कर रे डयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं ना लयों के अतिक्रमण चन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले ना लयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मो0नं0 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456ए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर

मो0 नं0 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मो0 नं0 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त कया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रो में छोटे एवं बड़े नाले-ना लयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबं धत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-ना लयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबं धतों को दिये।

987 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा
स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
रतलाम 25 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 25 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 987 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 25 जून को स वक सेन्टरए पावर हाउस रोडए शक्ति नगरए कस्तुरबा नगर आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन

 कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।
नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

राजीव गांधी स वक सेन्टर के साथ त्रिपो लया गेट पर चल रहा है दीनदयाल रसोई केन्द्र

रतलाम 25 जून। नगर निगम द्वारा राजीव गांधी स वक सेन्टर के साथ त्रिपो लया गेट पर संचा लत दीनदयाल रसोई योजना केन्द्र भी 18 जून शुक्रवार से पुनः प्रारंभ कया गया है जिसमें हितग्राही 10 रूपये में भोजन कर सकते है।
ज्ञातव्य है क नगर निगम द्वारा राजीव गांधी स वक सेन्टरए त्रिपो लया गेट व डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर दीनदयाल रसोई केन्द्र संचा लत कये जा रहे थे कन्तु कोरोना संक्रमण दर बढ़ने पर त्रिपो लया गेट व डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड के रसोई केन्द्रों को बंद कर दिया गया था सर्फ राजीव गांधी स वक सेन्टर के रसोई केन्द्र को चालू रखा गया था। कोरोना संक्रमण कम होने पर त्रिपो लया गेट के रसोई केन्द्र को नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।
नगर निगम द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों से अपील की जाती है क वे निर्धारित समय प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे के मध्य त्रिपो लया गेट दीनदयाल रसोई केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्धारित दर पर भोजन करें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है।

वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/25ण06ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.